न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी — श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

किस्म मुकदमाः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट,1956

मुकदमा संख्याः 11/2018

अनवानः—

प्रार्थीगण—

1. गणपतसिंह पुत्र पहाड़सिंह आयु 60 वर्ष जाति राजपूत।
2. चंदनसिंह पुत्र पहाड़सिंह आयु 55 वर्ष जाति राजपूत
   निवासियान बिछावाड़ी तहसील सांचौर जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण—

1. करणसिंह पुत्र पहाड़सिंह जाति राजपूत निवासी बिछावाड़ी तहसील सांचौर जालोर
2. तहसीलदार भूमिधारी सांचौर जिला जालौर

उपस्थित

अधिवक्ता प्रार्थीः—1. श्री इब्राहिम शाह

अधिवक्ता अप्रार्थी— 1. श्री सदराम विश्नोई

2. तहसीलदार पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनांक—30.03.2021

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 इस प्रकार पेश किया कि सरहद मौजा बिछावाड़ी पटवार हल्का बिछावाड़ी तहसील सांचौर में पुराने खेत खसरा संख्या 270 रकबा 136 बीघा हमारे पिता पहाड़सिंह वल्द मोतीसिंह राजपूत के नाम की खातेदारी आराजी आई हुई थी। हमारे पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त खसरा नंबर 270 का रजिस्टर्ड बख्शीसनामा करवा दिया था जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 270 खोला जाकर माफिक बंटवाड़ा के प्रार्थी गणपतसिंह के नाम खसरा संख्या 270/2 रकबा 45 बीघा प्रार्थी चन्दनसिंह के नाम खसरा संख्या 270/3 रकबा 46 बीघा तथा अप्रार्थी करणसिंह के नाम खसरा संख्या 270/1 रकबा 45 बीघा आवंटित कर दी गई। इस रजिस्टर्ड बख्शीसनामे के आधार पर बंटवाड़ा कर मौके पर तीनों भाइयों को हिस्से अनुसार कब्जा करवा दिया गया जो आज भी बदस्तूर जारी है। परन्तु अप्रार्थी करणसिंह ने द्वितीय सैटलमेंट अधिकारियों से मिलावट कर हमारे हक हिस्से में मिली भूमि का रकबा कम कर नवीन खसरा संख्या 540, 543, 543, 544, 354 अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.04.06 18:01:45 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

नाम दर्ज करवा कर अपने हिस्से में अधिक जमीन गलत रूप में रेकर्ड में दर्ज करवा दी। इस प्रकार सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा अप्रार्थी करणसिंह के नाम गलत रूप से हिस्से में मिली भूमि से अधिक भूमि रेकर्ड में दर्ज कर जमाबंदी व नक्शे में इंद्राज किया गया। जिसे दुरुस्त कर नामान्तरण संख्या 212 दिनांक 25/10/1974 के अनुसार किया जाना न्यायसंगत है।

अतः रेकड दुरुस्ती का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम दिया जाना न्यायसंगत है।

तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब इस कदर पेश किया कि पुराने खेत खसरा संख्या 270 का बख्शीसनामे के आधार पर नामान्तरण संख्या 212 भरे जाने का कथन गलत है। नामान्तरण 212 बंटवाड़े के आधार पर भरा गया था। जो दिनांक 27/04/1972 को निष्पादित करवाया गया था। जिसमें 45 बीघा अप्रार्थी व 45.45 बीघा प्रार्थीगण को भूमि की गई। चंदनसिंह को 46 बीघा जमीन देने का कथन असत्य है। बख्शीशनामें का कथन गलत है। मुताबिक बंटवारे के राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दर्ज किया गया है।

खसरा संख्या 354 पुराने खसरे नंबर 270 से पूरा नहीं बना है यह 270 का मामूली अंश है बाकी हाल खसरा नंबर मूल खसरा नंबर 62 से सृजित हुआ है। जिसका रकबा 32 बीघा 5 विस्वा था उसी अनुसार नये नम्बर सृजित किये गये हैं इसलिए खसरा संख्या 354 का पुराने खसरा 270 से पूरा बनना गलत बताया गया है।

प्रार्थी द्वारा जिस बख्शीशनामें के आधार पर बंटवाड़े की बात कही गई है वह अवैध है क्योंकि बंटवाड़े में भूमिधारी तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है जिसे बिना सुने बिना पक्षकार बनाये बंटवाड़ा पंजीयन नहीं कराया जा सकता उपपंजीयक को यह अधिकारिता नहीं है।

प्रार्थी द्वारा द्वितीय सेटलमेंट से पूर्व व पश्चात् के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं जिससे रेकर्ड दुरुस्ती प्रमाणित हो सके। प्रार्थना पत्र सेंटलमेंट की कमी को लेकर पेश किया गया है जिसे 20 वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है अतः म्याद बाहर है अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों बख्शीशनामा एवं नामान्तरण संख्या 212 दिनांक 25/10/1974 से यह तो स्पष्ट है कि स्वर्गीय पहाड़सिंह पुत्र मोतीसिंह द्वारा रजिस्टर्ड बख्शीशनामा अपने जीवनकाल में अपनी खोतदारी की आराजी का बंटवारा अपने पुत्रों करनसिंह, गणपतसिंह व चंदनसिंह में कर दिया था। इस बख्शीशनामें के आधार पर नामान्तकरण संख्या 212 दिनांक 25/10/1974 को खोला गया जिसमें स्व. पहाड़सिंह की ख़ातेदारी की आराजी का उनके पुत्रों के नाम नामान्तरण खोलने हुये बंटवारा दिया गया।

जिसमें करनसिंह के खसरा नंबर 62, 270/1 कुल 77 बीघा 5 बिस्वा गणपतसिंह के खसरा नंबर 200 व 270/2 कुल 73 बीघा 13 बिस्वा तथा चंदनसिंह के खसरा नंबर 695 व 270/3 कुल 76 बीघा 3 बिस्वा जमीन दर्ज की गई। अप्रार्थी का यह कथन कि आराजी का विभाजन बख्शीशनामें के आधार पर नहीं हुआ बल्कि बंटवारा किया गया था आधारहीन है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बख्शीशनामें एवं नामान्तरण की प्रति से स्पष्ट है कि पहाड़सिंह के वारिसान में भूमि का बंटवारा बख्शीशनामें के आधार पर हुआ है। नामान्तरण संख्या 212 का इंद्राज खेवट खतौनी संवत 2027 से 2030 में किया गया। मुताबिक संवत 2037 से 2041 में भी आराजी इसी अनुरूप दर्ज है।

प्रार्थी के अनुसरा द्वितीय सेटलमेंट के दौरान अधिकारियों ने प्रार्थीगण के हक हिस्से में कम आराजी दर्ज की एवं अप्रार्थी करणसिंह के हिस्से में अधिक आराजी दर्ज की गई। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल अनुसार साविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.04.06 18:01:45 IST
Reason: SelfAttested

decision/ramesh/136RLR

Scanned by CamScanner

आराजी खसरा संख्या 62, 270, 270/1, 695 से हाल खसरा नम्बरान 337, 354, 733, 734, 737, 1522, 537, 538, 540, 543, 544, 732/1935 बने है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी ग्राम लालनगर खसरा संख्या 2072 से 2075 खसरा नंबर 540, 543, 544 कुल रकबा 884 हैक्टेयर ग्राम बिछावाड़ी खाता संख्या 19 संवत 2054से 2057 खसरा संख्या 337 व 354 रकबा 5.37 हैक्टेयर, ग्राम प्रजापतिनगर पटवार क्षेत्र बिछावाड़ी संवत 2065 से 2068 खसरा संख्या 1522 रकबा 4.88 हैक्टेयर ग्राम बिछावाड़ी संवत 2054 से 2057 खसरा संख्या 734, 737, 732/1935 रकबा 4.41 हैक्टेयर पेश की है। तथा नक्शा किश्तवार मौजा बिछावाड़ी पेश किया है। द्वितीय सेटलमेंट के दौरान की खेवट खतौनी(जामबंदी) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है ना ही इसके उपरांत बने सभी खसरा नम्बरों की क्रमानुक्रम में बनी जमाबंदियां पेश की है। द्वितीय सेटलमेंट के उपरांत बने खसरा नंबर 354, 733, 537, 538 सेटलमेंट के उपरांत किसकी खातेदारी में दर्ज हुये यह भी स्पष्ट नहीं है। साविक खसरा नम्बरों का रकबा भी अधिक है जबकि प्रार्थियान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार रकबा कम ठहरता है। प्रार्थियान द्वारा हाल राजस्व रेकर्ड की सभी प्रतियां भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं की है।

सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नहीं आता है क्योंकि प्रार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 212 के अनुरूप राजस्व रेकर्ड की दुरुस्ती चाही गई है। जबकि प्रार्थियान के हक हिस्से में वर्तमान खसरा नंबरों में से कौन कौनसे खसरा नंबर आते है। यह प्रार्थीयान द्वारा ही अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में कौन कौनसे खसरे समाप्त कर नये सिरे नामान्तरण की कार्यवाही की जानी है स्पष्ट नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के अभाव में सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला जालोर (राज.)

30/3/21

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 30/3/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.04.06 18:01:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner